



सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व सेक्टर
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-viii
अध्याय-1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1-7
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	7-9
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	10
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	10-11
रिफंड मामले	1.5	11-12
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	12
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	12-13
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.7.2	14
लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.7.3	14
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर	1.7.4	15
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति	1.7.5	15
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	16
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	16
स्वीकृत मामलों में वसूली	1.8.2	16
लेखापरीक्षा आयोजना	1.9	16
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	17
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	17
अध्याय-2		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंधन	2.1	19
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	19-21
कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत क्रयों पर कर का अनुद्ग्रहण	2.3	21-22

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण राजस्व की हानि	2.4	22
अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.5	23-24
अंतरराज्यीय खरीद का हिसाब न देने के कारण कर का अपवंचन	2.6	24-25
ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.7	25-26
बिक्रियों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	2.8	26-27
अवैध 'सी' फार्मों पर रियायती कर की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण	2.9	27-29
कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.10	29-30
अध्याय-3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबंधन	3.1	31
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	31-32
ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.3	32-33
अवैध स्वामित्व के लिए पेनल्टी की अवसूली/अनुद्ग्रहण	3.4	33-34
अध्याय-4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंधन	4.1	35
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	35-36
कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के रूप में बिक्री विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.3	36-37
स्वायत्त निकायों को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.4	37-38
किसानों को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.5	38-39
अचल संपत्ति में गलत दरें लगाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.6	39-40
प्राईम खसरा भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.7	40-41

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 नवंबर 2020 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.7.5	43
II	31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.5	44-45
III	आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	46
IV	आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के स्वीकृत मामलों की वसूली	1.8.2	47
संकेताक्षरों की शब्दावली		49-50	

प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2019-20 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2019-20 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक है, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 99.36 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 15 दृष्टांतदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 65,885.12 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 67,858.13 करोड़ थी। इसमें से, 74 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 42,824.95 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,399.74 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 26 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 7,111.53 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 10,521.91 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,973.01 करोड़ (2.99 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के 163 यूनितों के अभिलेखों की वर्ष 2019-20 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,805 मामलों में कुल ₹ 1,422.55 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 1,029 मामलों में ₹ 298.46 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं। विभागों ने वर्ष 2019-20 के दौरान 55 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ (0.39 प्रतिशत) वसूल किए। इनमें से, 24 मामलों में वसूल किए गए ₹ 0.78 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वित्त वर्षों से संबंधित हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

कर-निर्धारण प्राधिकारी अंतर्राज्यीय खरीद, माल आयात करने और अपंजीकृत डीलरों से खरीद पर कर लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.62 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अंतर्राज्यीय खरीदों पर छिपाए गए टर्नओवर के मामलों के निर्धारण हेतु कार्रवाई नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.92 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 27.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन/क्रास सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 13.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 16.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्गृहीत नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने समय पर मासिक किश्त जमा नहीं करने पर न तो ठेकों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.61 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया।

(अनुच्छेद 3.3)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

पांच करारों के मामले में बिक्री करार की बजाय कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के रूप में बिक्री विलेख के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 0.45 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के अंदर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 16 प्लॉटों के बिक्री विलेखों का निर्धारण आवासीय भूमि की बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया, परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

अध्याय-1
सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2019-20 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ¹
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	कर राजस्व	30,929.09	34,025.69	41,099.38	42,581.34	42,824.95
	कर-भिन्न राजस्व	4,752.48	6,196.09	9,112.85	7,975.64	7,399.74
	योग	35,681.57	40,221.78	50,212.23	50,556.98	50,224.69
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	5,496.22	6,597.47	7,297.52	8,254.60	7,111.53 ²
	सहायता अनुदान	6,378.76	5,677.57	5,185.12	7,073.54	10,521.91 ³
	योग	11,874.98	12,275.04	12,482.64	15,328.14	17,633.44
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	47,556.55	52,496.82	62,694.87	65,885.12	67,858.13
4	1 की 3 से प्रतिशतता	75	77	80	77	74

(स्रोत: वित्त लेखे)


¹ राज्य सरकार का वित्त लेखा।

² इसमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,018.07 करोड़ की राशि शामिल हैं।

³ इसमें माल एवं सेवा कर के लागू होने से हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 6,779.25 करोड़ की प्राप्य राशि के विरुद्ध प्राप्त ₹ 5,453.43 करोड़ की राशि शामिल है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: वित्त लेख)

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 50,224.69 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 74 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्तियों का शेष 26 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था। 2017-18 से 2019-20 तक राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में थोड़ा आधिक्य था जोकि इस अवधि के दौरान मुख्यतः स्थिर कर राजस्व के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2015-16 (75 प्रतिशत) से 2017-18 (80 प्रतिशत) तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाती है। तत्पश्चात, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए घटकर क्रमशः 77 और 74 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2018-19 के वास्तविकों पर 2019-20 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	21,060.23 (68.09)	23,488.41 (69.03)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.31)	8,397.81 (19.61)	(-) 6.67
	राज्य माल एवं सेवा कर			10,833.43 (26.36)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	1.40
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,371.08 (14.13)	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	4.65
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,191.21 (10.32)	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	6.69
4.	माल एवं यात्रियों पर कर (पी.जी.टी.)	554.25 (1.79)	594.59 (1.75)	2,317.47 (5.64)	20.70 (0.05)	15.85 ⁴ (0.04)	(-) 23.43
5.	वाहनों पर कर	1,400.38 (4.53)	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	0.26
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	256.66 (0.83)	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	(-) 22.23
7.	भू-राजस्व	14.97 (0.05)	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	7.76
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	80.31 (0.26)	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	(-) 47.99
	योग	30,929.09	34,025.69	41,099.38	42,581.34	42,824.95	0.57
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	11.92	10.01	20.79	3.61	0.57	
	संपूर्ण औसत वृद्धि एवं पांच वर्ष की वृद्धि दर						38,292.09 9.38

(स्रोत: वित्त लेखे)

⁴ पी.जी.टी. 01 अप्रैल 2017 से परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया गया। प्राप्ति में पिछले देयों का पी.जी.टी. संग्रहण अर्थात् सड़कों पर टोल (₹ 2.90 करोड़), यात्री कर का संग्रह (₹ 9.67 करोड़), माल कर (₹ 3.09 करोड़), स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (₹ 0.02 लाख) और ₹ 0.19 करोड़ की अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2
संग्रहित कर राजस्व का विवरण



(स्रोत: वित्त लेख)

9.38 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्व कर में ₹ 11,895.86 करोड़ (38.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2017-18 में 12.58 प्रतिशत से 3.13 प्रतिशत तक बिक्रियों (वैट + एस.जी.एस.टी.) पर मुख्यतः कर की वार्षिक वृद्धि दर में कमी के कारण 2019-20 के लिए वृद्धि दर घटकर 0.57 प्रतिशत हो गई क्योंकि कर प्राप्तियों का 64 प्रतिशत केवल इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहित किया गया था।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्ति में 2018-19 में ₹ 6,041.87 करोड़ के विरुद्ध 2019-20 में ₹ 6,322.70 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि देशी स्पिरिट पर प्राप्ति में वृद्धि के कारण थी।
- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस में 2018-19 में ₹ 5,636.17 करोड़ के विरुद्ध 2019-20 में ₹ 6,013.30 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि अचल संपत्ति और स्टाम्पों के अधिक लेन-देन के कारण थी।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** बिजली की उपयोगिता के उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की कम वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्कों में 2018-19 में ₹ 336.92 करोड़ के विरुद्ध 2019-20 में ₹ 262.01 करोड़ की कमी हुई थी।

- **राज्य माल एवं सेवा कर:** राज्य वस्तु एवं सेवा कर वर्ष 2018-19 में ₹ 18,612.72 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 18,872.95 करोड़ हो गया, जो एस.जी.एस.टी. में बढ़ी हुई प्राप्तियों के कारण था।

1.1.3 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19 के वास्तविकों पर 2019-20 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,087.49 (22.88)	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1.08
2.	सड़क परिवहन	1,254.55 (26.40)	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.0)	1,114.51 (15.06)	(-) 6.86
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	637.41 (13.41)	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	68.26
4.	शहरी विकास	421.95 (8.88)	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	(-) 19.87
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	271.61 (5.72)	496.95 (8.02)	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	20.41
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	110.48 (2.32)	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	4.60
7.	पुलिस	151.70 (3.19)	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	1.63
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	115.64 (2.43)	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	(-) 32.54
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	51.90 (1.09)	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	(-) 19.14
10.	विविध सामान्य सेवाएं ⁵	41.39 (0.87)	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	(-) 62.08
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	142.06 (2.99)	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	(-) 12.17
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	466.30 (9.81)	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	762.85 (9.56)	577.28 ⁶ (7.80)	(-) 24.33
	योग	4,752.48	6,196.09	9,112.85	7,975.64	7,399.74	(-)7.22

(स्रोत: वित्त लेखे)

⁵ अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।
⁶ लाभांश एवं लाभ- ₹ 87.01 करोड़, लोक सेवा आयोग- ₹ 41.51 करोड़, लोक निर्माण- ₹ 30.85 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली- ₹ 30.77 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता- ₹ 59.77 करोड़, श्रम एवं रोजगार- ₹ 59.79 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- ₹ 88.20 करोड़, पशु पालन- ₹ 40.57 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- ₹ 20.87 करोड़, सड़क एवं पुल- ₹ 21.65 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- ₹ 1.09 करोड़, जेल- ₹ 1.56 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान- ₹ 0.66 करोड़, स्टेशनर्स एंड प्रिंटिंग- ₹ 3.24 करोड़, परिवार कल्याण- ₹ 0.10 करोड़, आवास- ₹ 5.39 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन- ₹ 0.14 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं- ₹ 20.68 करोड़, फसल पालन- ₹ 12.18 करोड़, डेयरी विकास- ₹ 0.03 करोड़, मछली पालन- ₹ 2.69 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण- ₹ 0.18 करोड़, सहकारिता- ₹ 9.92 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम- ₹ 2.71 करोड़, भूमि सुधार- ₹ 0.03 करोड़, नई अक्षय ऊर्जा- ₹ 0.39 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग- ₹ 7.46 करोड़, उद्योग- ₹ 0.09 करोड़, नागर विमानन- ₹ 0.05 करोड़, पर्यटन- ₹ 4.84 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- ₹ 22.86 करोड़।

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3
एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण



स्रोत: वित्त लेख

वर्ष 2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2019-20 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में 7.22 प्रतिशत की कमी थी। ब्याज प्राप्तियां (26.69 प्रतिशत), शहरी विकास (25.08 प्रतिशत) तथा सड़क परिवहन (15.06 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का 66.83 प्रतिशत अंशदान करते हैं। तथापि, मुख्यतः शहरी विकास और सड़क परिवहन की प्राप्तियों में कमी के कारण 2018-19 से 2019-20 तक कर-भिन्न राजस्व में कमी आई है।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **ब्याज प्राप्तियां:** ब्याज प्राप्तियां 2017-18 में ₹ 2,287.82 करोड़ की तुलना में 2018-19 के दौरान घटकर ₹ 1,953.84 करोड़ रह गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज की प्राप्तियों में कमी के कारण थी। यह मुख्यतः क्रमशः 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में बदलने के कारण था।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (68.26 प्रतिशत) प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।
- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग:** वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (20.41 प्रतिशत) खनिज रियायत फीस, किरायों और रॉयल्टियों के प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।
- **पुलिस:** वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (1.63 प्रतिशत) बैंक प्राधिकारियों, बी.बी.एम.बी. और अन्य पार्टियों को पुलिस बलों की आपूर्ति जैसी अप्रत्याशित प्रकृति के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (19.14 प्रतिशत) हरियाणा वन विकास निगम के उत्पादन विंग द्वारा पेड़ों की कटाई के कारण अर्जित राजस्व के समायोजन के कारण थी।
- **विविध सामान्य सेवाएं:** वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (62.08 प्रतिशत) गारंटी फीस और बेदावे जमा की प्राप्तियों में कमी के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2020 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 32,684.28 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 5,571.94 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	31 मार्च 2020 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,717.17	4,934.61	मार्च 2019 तक की बकाया राशि ₹ 17,595.10 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 तक बकाया राशि बढ़कर ₹ 30,717.17 करोड़ हो गई है। पांच वर्षों से अधिक की बकाया राशि भी मार्च 2019 में ₹ 2,758.65 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,934.61 करोड़ हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,345.21 करोड़ (4.38 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 1,126.74 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 18.11 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 138.36 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 4,260.95 करोड़ परिशोधन/समीक्षा/अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 2,888.50 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 3,940.62 करोड़ विभाग द्वारा (अन्य कारणों से) वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 1,426.04 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 3,278.28 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 90.02 करोड़ था। ₹ 178.03 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 12,026.31 करोड़ की शेष राशि वसूली के अन्य चरणों में थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	310.48	196.28	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 14.37 करोड़ (4.63 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.47 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 0.93 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 3.99 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 83.80 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण था। ₹ 0.01 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास ₹ 1.33 करोड़ बकाया थे। ₹ 205.58 करोड़ की शेष राशि वसूली के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	325.20	179.30	₹ 324.20 करोड़ की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	31 मार्च 2020 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
				उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ एक करोड़ हरियाणा कॉन्कास्ट, हिसार के विरुद्ध सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित थे।
4.	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	206.32	147.96	₹ 197.10 करोड़ की वसूली (95.53 प्रतिशत) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 9.22 करोड़ की शेष राशि वसूली के अन्य चरणों पर बकाया थी।
5.	पुलिस	127.98	40.91	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 120.32 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.69	₹ 2.76 करोड़ (23.61 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.01 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 8.92 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	985.44	61.19	₹ 635.62 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थे। ₹ 38.43 करोड़ (5.09 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ छः लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 311.33 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	योग	32,684.28	5,571.94	

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2018-19	3,12,411	2,19,396	5,31,807	2,35,122	2,96,685	44
	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता 89 थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग को कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करना आवश्यक है और तीसरे पक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध डीलर की जांच करनी चाहिए। आगे, विभाग नए करदाता को कर सीमा के दायरे में लाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, जो निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 को लम्बित मामले	2019-20 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2020 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	18	4	22	21	2.60	1
2	राज्य उत्पाद शुल्क	418	8,250	8,668	8,378	8.39	290
योग		436	8,254	8,690	8,399	10.99	291

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के संबंध में तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में भी लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2019-20 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में कमी हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2019-20 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2019-20 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या विभाग द्वारा सूचित किए गए, जो तालिका 1.5 में वर्णित हैं:

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	327	69.15	29	0.64
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,454	376.60	271	39.99
3	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,260	258.67	249	38.65
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	521	187.08	51	1.98

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वृद्धि हुई है।

तालिका 1.5.1: जी.एस.टी. के अंतर्गत रिफंड मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	जी.एस.टी.					
		मामले	(₹ करोड़ में)				
			एस.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी.	उपकर	कुल
1	आरंभ में बकाया दावे	1,306	830.18	810.70	6,100.04	11.33	7,752.25
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,688	3,896.35	3,047.67	16,845.71	72.05	23,861.78
3	वर्ष के दौरान मैनुअल रूप से अनुमत/अस्वीकृत रिफंड	5,768	4,692.03	3,815.43	22,774.50	83.38	31,365.34
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	226	34.50	42.94	171.25	0.00	248.69

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 165 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने सभी 165 यूनिटों (शत प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि तालिका 1.6 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

प्रप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	23	23
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	शून्य	शून्य
योग	165	165

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) तथा परिवहन विभाग (मोटर वाहन कर) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा बिक्री कर/वैट की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है और विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए हैं। जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया महामारी प्रभाव और विभाग में अनुभाग अधिकारियों की कमी के कारण परिवहन विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच, महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के

भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2020 के अन्त में 2,765 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,688.15 करोड़ से आवेष्टित 8,695 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.7 में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2018	जून 2019	जून 2020
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,446	2,588	2,765
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	6,915	7,701	8,695
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	6,577.52	8,455.42	10,688.15

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

1.7.1 30 जून 2020 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	400	3,887	8,231.79
		राज्य उत्पाद शुल्क	193	370	192.26
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	23	27	12.25
2.	राजस्व	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,186	2,937	415.55
		भू-राजस्व	153	188	0.82
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	437	639	108.12
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	9	9	0.81
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	110	173	1,686.53
योग			2,765	8,695	10,688.14

स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

अतः लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि यह इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित हैं:

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	4	215	31.90
2	खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग	3	13	0.33
3	राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी एवं कराधान विभाग)	2	34	7.02
	योग	9	262	39.25

स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में 841 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 39.25 करोड़ के धन मूल्य वाले 262 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान 1,087 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी जिनमें से ₹ 361.55 करोड़ के धन मूल्य वाले 307 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था।

सरकार प्रभावकारी नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है ताकि निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर पर्याप्त और त्वरित प्रतिक्रिया/सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के त्वरित निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन की गति को तेज किया जा सके।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 13 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 53,458 कर-निर्धारण फाईलों में से 72 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका 1.7.3 में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
गुरुग्राम (दक्षिण)	2019-20	17	2.52
गुरुग्राम (उत्तर)	2019-20	34	7.47
पलवल	2019-20	21	3.01
योग		72	13.00

स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

इसके फलस्वरूप, उपर्युक्त डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) से संबंधित ₹ 13 करोड़ की राशि के 72 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु, छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों में दर्शाया जाता है।

कुल मिलाकर, अगस्त 2020 और फरवरी 2021 के मध्य 17 प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्राप्त आबकारी एवं कराधान विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उत्तरों को संबंधित प्रारूप अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में देरी की जा रही थी। तथापि, 31 मार्च 2016 से 2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों के 42 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 31, परिवहन: 02, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन: 08 तथा खदान एवं भू-विज्ञान: 01) के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा **परिशिष्ट-I** में उल्लिखित है, प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2020)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 23 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 54 अनुच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है (अगस्त 2020)। **परिशिष्ट-II** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति के 22वें से 78वें प्रतिवेदनों में निहित 1979-80 से 2014-15 की अवधि से संबंधित 1,034 सिफारिशों में संबंधित विभागों/सरकार द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई की जानी थी, वह अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को शामिल किया गया है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2020 को उनकी स्थिति परिशिष्ट-III में उल्लिखित है।

31 मार्च 2020 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2010-11 में 116 से 2019-20 में 184 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2010-11 में 171 से 2019-20 में 347 तक बढ़ गई थी। सरकार को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को बढ़ाना चाहिए ताकि लंबित अनुच्छेदों का निपटारा किया जा सके।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति परिशिष्ट-IV में दी गई है।

जबकि विभाग ने गत 10 वर्षों के दौरान ₹ 172.92 करोड़ के मूल्य की आपत्तियां स्वीकार की थीं, स्वीकृत राशि में से वसूल की गई राशि मात्र ₹ 40.87 करोड़ थी। हालांकि, गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में वसूली की प्रगति मात्र 23.64 प्रतिशत थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 274⁷ लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2019-20 के दौरान 177 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 163 इकाइयों⁸ की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

⁷ 274 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में बिक्री कर/वैट: 45, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस: 143 और राज्य उत्पाद शुल्क: 86 शामिल हैं।

⁸ मार्च 2020 में लॉक डाउन के कारण 13 इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी) चरखी दादरी की एक यूनिट की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि लेखापरीक्षा के समय यह कार्यरत नहीं थी।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 274 यूनिटों में से 163 (राजस्व 161 + व्यय 02) यूनिटों के अभिलेखों की 2019-20 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,805 मामलों में कुल ₹ 1,422.55 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,029 प्रकरणों में ₹ 298.46 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने 2019-20 के दौरान 55 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ (0.39 प्रतिशत) वसूल किए थे जिसमें से 24 मामलों में वसूल किए गए ₹ 0.78 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 99.36 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 15 अनुच्छेद शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए सरकार/विभागों के साथ एक्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभागों/सरकार ने ₹ 98.73 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.90 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। प्राधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में शामिल कर लिया गया है। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई है।

अध्याय-2
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 में, वैट/बिक्री कर निर्धारण से संबंधित 45 इकाइयों में से 34 (राजस्व: 32 और व्यय: 02) इकाइयों (कुल 1,84,419 निर्धारण मामलों में से 53,498 कर-निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी) तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच में 1,160 मामलों में ₹ 1,388.90 करोड़ (वर्ष 2018-19 में ₹ 8,998 करोड़ की प्राप्ति का 15.44 प्रतिशत) के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।


तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कर का अवनिर्धारण	413	579.20
2.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	81	122.22
3.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	73	138.82
4.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	403	448.25
5.	अन्य अनियमितताएं	135	36.69
	कुल (I)	1,105	1,325.18
व्यय			
1.	अप्रचलित वाहनों की नीलामी न करना	13	0.16
2.	रोकड़ बही का रखरखाव न करना	07	0.00
3.	स्टॉक में वैट जी-4 चालान को दर्ज न करना	05	0.00
4.	अन्य अनियमितताएं	30	63.56
	कुल (II)	55	63.72
	कुल योग (I+II)	1,160	1,388.90

स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

चार्ट 2.1
लेखापरीक्षा के परिणाम


(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

चार्ट 2.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

विभाग ने 197 मामलों में आवेष्टित ₹ 279.55 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने 44 मामलों में आवेष्टित ₹ 1.00 करोड़ वसूल किए जिनमें से 21 मामलों में वसूल किए गए ₹ 0.77 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 96.01 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

2.3 कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत क्रयों पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी अंतर्राज्यीय खरीद, माल आयात करने और अपंजीकृत डीलरों से खरीद पर कर लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.62 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 9 के नियम 49-ए के अनुसार एक डेवलपर अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के एवज में एक विकल्प के रूप में अनुबंध में निर्दिष्ट संपूर्ण कुल राशि के एक प्रतिशत की एकमुश्त चक्रवृद्धि दर पर परिकलित एकमुश्त कर का भुगतान कर सकता है। यदि कंपोजिशन डेवलपर राज्य के भीतर या बाहर से पंजीकृत डीलरों के अतिरिक्त अन्य डीलरों से माल को प्राप्त करता है या खरीद करता है, तो वह उस कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो तब देय होती, अगर माल एक पंजीकृत डीलर से राज्य के भीतर खरीदा जाता। आगे, कंपोजिशन डेवलपर भारत के बाहर से आयात सहित राज्य के बाहर किसी भी स्थान से खरीदे और प्राप्त किए गए माल के खरीद मूल्य पर चार प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2018) से पता चला कि {(डी.ई.टी.सी.) (एस.टी.)} गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालय में चार डेवलपर्स जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना था और कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए ₹ 66.84 करोड़ की अंतर्राज्यीय खरीद की, माल का आयात किया और अपंजीकृत डीलरों से खरीद की थी। वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2017), कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) ने भारत के बाहर से आयात सहित राज्य के बाहर किसी भी स्थान से खरीदे या प्राप्त किए गए माल पर चार प्रतिशत की दर पर और राज्य के भीतर या बाहर से पंजीकृत डीलरों के अतिरिक्त अन्य डीलरों से की गई खरीद पर 13.125 प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहीत नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 3.62 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

मामला सितंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि मामला मार्च 2019 में जांच के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया है। तत्पश्चात् एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की गई है।

2.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण राजस्व की हानि

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 2.33 करोड़ के आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 1.76 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) (iii) के अंतर्गत सितंबर 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार, जब माल खरीद मूल्य से कम बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, तो ऐसे माल की बिक्री पर आउटपुट टैक्स देयता, यदि कोई हो, की सीमा तक इनपुट टैक्स स्वीकार्य है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त और अक्टूबर 2019 के मध्य) से पता चला कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला छावनी के कार्यालय में एक डीलर ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 201.97 करोड़ मूल्य के मोबाइल फोन खरीदे थे, जिनमें से कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 112.47 करोड़ की स्थानीय खरीद पर ₹ 9.43 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति दी थी। आगे, ट्रेडिंग खाते के अनुसार डीलर ने ₹ 49.95 करोड़ की हानि दर्शायी थी जिस पर आनुपातिक आई.टी.सी. को वापस करना आवश्यक था क्योंकि आई.टी.सी. का लाभ उक्त अधिसूचना के अनुसार केवल आउटपुट कर देयता की सीमा तक स्वीकार्य था। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2018) ₹ 2.33 करोड़ के आनुपातिक आई.टी.सी. को वापस नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई। आगे, ₹ 1.76 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला नवंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि मामला सितंबर 2019 में स्वतःकार्रवाई के लिए डी.ई.टी.सी.-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी, अंबाला के पास भेजा गया था और मामले का अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है (मई 2021)।

2.5 अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल पर इनपुट टैक्स उसके ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। ई.टी.सी. हरियाणा ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में अनुदेश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक आई.टी.सी. का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और अक्टूबर 2018 के मध्य) से पता चला कि 2013-14 और 2014-15 (सितंबर 2016 और मार्च 2018 के मध्य) के लिए आठ¹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के 24 डीलरों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निम्नानुसार विक्रेता डीलरों से खरीद और कर के वास्तविक भुगतान के सत्यापन के बिना ₹ 9.27 करोड़ के आई.टी.सी. के लाभ की अनुमति दी, जैसाकि नीचे तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2

दावे किए गए अनियमित आई.टी.सी. का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	मामलों की संख्या	फर्जी खरीद	कर की दर	फर्जी आई.टी.सी. का दावा	धारा 38 के अंतर्गत पेनल्टी	कुल राशि
1	नारनौल	2	29,31,71,181	5 %	1,46,58,559	4,39,75,677	5,86,34,236
2	गुरुग्राम (दक्षिण)	3	10,13,98,164	5 से 13.125 %	76,64,713	2,29,94,139	3,06,58,852
3	फरीदाबाद (पूर्व)	2	18,27,75,458	5.25 से 13.125 %	98,71,064	2,96,13,192	3,94,84,256
4	गुरुग्राम (उत्तर)	1	23,60,269	5.25 तथा 13.125 %	2,80,386	8,41,158	11,21,544
5	पानीपत	11	43,30,50,930	5.25 तथा 13.125 %	4,88,61,955	14,65,85,865	19,54,47,820
6	जींद	2	5,45,76,182	5.25 से 13.125 %	29,77,310	89,31,930	1,19,09,240
7	झज्जर	1	10,20,02,872	5.25 से 8.40 %	55,73,698	1,67,21,094	2,22,94,792
8	कैथल	2	2,66,66,657	5 तथा 13.125 %	28,58,113	85,74,339	1,14,32,452
	कुल	24	1,19,60,01,713		9,27,45,798	27,82,37,394	37,09,83,192

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित

¹ फरीदाबाद (पूर्व): 2: गुरुग्राम (उत्तर): 1: गुरुग्राम (दक्षिण): 3: जींद: 2: झज्जर: 1: कैथल: 2: नारनौल: 2 और पानीपत: 11

लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित डीलरों की बिक्री और खरीद सूची के क्रॉस-सत्यापन पर यह पाया गया कि या तो विक्रेता डीलरों ने इन डीलरों को कोई बिक्री नहीं दिखाई थी या विक्रेता डीलरों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 27.82 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि सात मामलों में ₹ 7.18 करोड़ की मांग सृजित की गई थी, जिसमें से दो मामलों में ₹ 7.12 लाख की वसूली की गई थी और डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक मामले में निर्धारित ने अपील दायर की थी। 12 मामलों में खरीद सत्यापन के लिए पत्र/वैट एन-2 प्रपत्र में सांविधिक नोटिस जारी किए गए हैं। दो मामले पुनरीक्षण के लिए डी.ई.टी.सी.(I)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे तथा शेष दो मामलों में पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग उचित सत्यापन के बाद आई.टी.सी. के लाभ की अनुमति देने के लिए ठोस प्रणाली सुनिश्चित करे तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।

2.6 अंतरराज्यीय खरीद का हिसाब न देने के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अंतरराज्यीय खरीदों पर छिपाए गए टर्नओवर के मामलों के निर्धारण हेतु कार्रवाई नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.92 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 27.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2019) से पता चला कि सांविधिक घोषणा-पत्र 'सी' और 'एफ' छः डीलरों को जारी किए गए थे। इन डीलरों ने 2014-15 के दौरान घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध ₹ 53.13 करोड़ की अंतरराज्यीय खरीद एम.पी. के डीलरों से फॉर्म 'एफ' और 'सी' पर की थी। वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश ने इन घोषणा-प्रपत्रों और लेन-देनों की वास्तविकता को सत्यापित करने का अनुरोध किया (जनवरी 2017)। डी.ई.टी.सी. पानीपत ने सत्यापन करने पर मध्य प्रदेश के प्राधिकारी को

सूचित किया कि डीलरों को रद्द कर दिया गया था/या एम.पी. डीलरों से कोई खरीद नहीं दर्शाई गई थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जनवरी से अप्रैल 2019) कि चार डीलरों ने कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया था और दो डीलरों ने किसी अंतरराज्यीय खरीद का खुलासा नहीं किया था। तथापि, सभी छः डीलरों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र 30 जून 2015 (दिनांक जुलाई और सितंबर 2015) से रद्द कर दिए गए थे। यद्यपि कर-निर्धारण प्राधिकारी के पास पर्याप्त सूचना थी, फिर भी कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इन मामलों के निर्धारण के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी। अतः कर का निर्धारण न करने तथा अन्तर्राज्यीय क्रय को छिपाने के लिए पेनल्टी सहित अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.97 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 20.92 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि चार मामलों में ₹ 15.25 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। एक मामले में, डीलर ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए कोई रिटर्न दाखिल नहीं की थी और इसलिए, मामले का निर्धारण नहीं किया गया था और एक मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया।

विभाग ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे और कर-निर्धारण प्राधिकारी की जिम्मेदारी तय करे।

2.7 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी कर के विलम्ब से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.71 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 14 (6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2018 और अप्रैल 2019 के मध्य) से पता चला कि सात² डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के 16 डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर

² अंबाला शहर 2, गुरुग्राम (पूर्व) 3, गुरुग्राम (पश्चिम) 5, पानीपत 3, सिरसा 1, सोनीपत 1 और यमुनानगर 1.

का भुगतान नहीं किया था। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मई 2017 और मार्च 2018 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारी देय कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ₹ 20.71 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत करने में विफल रहे या कम उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.71 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला शहर, गुरुग्राम (पश्चिम) और यमुनानगर ने चार मामलों में ₹ 0.54 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत किया और इसे निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 में उपलब्ध अतिरिक्त क्रेडिट के प्रति समायोजित/वसूल किया गया है। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी पानीपत ने ₹ 0.18 करोड़ का ब्याज प्रभारित किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व एवं पश्चिम) तथा सोनीपत ने बताया कि छः मामलों में ₹ 21.60 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत का एक मामला, नए सिरे से जांच के लिए वापस संयुक्त ई.टी.सी. (ए), रोहतक और एक अन्य मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास स्वतः कार्रवाई के लिए भेजा गया। तीन मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पश्चिम) ने डीलर को पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए।

विभाग ब्याज राशि की वसूली सुनिश्चित करे और अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों का कार्यान्वयन न करने के लिए कर-निर्धारण प्राधिकारी की जिम्मेदारी तय करे।

2.8 बिक्रियों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने बिक्री/खरीद का सत्यापन/क्रास सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 13.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य के बाहर निर्यात, माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है तो ऐसा प्राधिकारी ऐसे डीलर को सुनवाई के उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किये जाने योग्य है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

जाली कर चालान या माल के फर्जी लेखांकन जारी करके कर के अपवंचन को रोकने के लिए ई.टी.सी., हरियाणा ने एक वर्ष में एकल वैट डीलर से कुल ₹ एक लाख से अधिक के सभी बिक्री/खरीद लेनदेनों के सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए (मार्च 2006)।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2017 और अप्रैल 2019 के मध्य) से पता चला कि नौ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)³ के कार्यालय में 17 डीलरों ने 2013-14 से 2016-17 के लिए अपने तिमाही/वार्षिक रिटर्न में ₹ 122.43 करोड़ की कुल बिक्री में से ₹ 47.70 करोड़ की बिक्री नहीं दिखाई थी। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में बिक्री के छिपाव के विवरणों का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 47.70 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.61 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 13.83 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (उत्तर) तथा पानीपत के छः मामलों में ₹ 12.10 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। नौ मामलों में सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁴ ने डीलरों को नोटिस जारी किए तथा निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी/मामला डी.ई.टी.सी. (I)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था। डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक अन्य मामले में डीलर ने निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया था इसलिए, मामले का निर्धारण नहीं किया गया था। डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (दक्षिण) ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया और बताया कि डीलर को व्यवसाय संवर्धन प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। विक्रेता डीलर ने कर की पूरी राशि का भुगतान किया और क्रेता डीलर ने तदनुसार आई.टी.सी. का दावा किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवर्धन प्रोत्साहन को बैलेंस शीट में दर्शाया नहीं गया था और न ही उसके अभिलेखों में दर्शाया गया है और यह स्पष्ट था कि डीलर ने बिक्री को छिपाया था।

विभाग, सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष में एकल वैट डीलर से कुल ₹ एक लाख से अधिक के सभी बिक्री लेनदेनों का सत्यापन करे।

2.9 अवैध 'सी' फार्मों पर रियायती कर की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 16.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्गृहीत नहीं की गई।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 8(4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत न करे और

³ अंबाला शहर, फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (दक्षिण), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हांसी, झज्जर, पानीपत और सिरसा।

⁴ अंबाला शहर, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हांसी, झज्जर, सिरसा और पानीपत।

जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म में विवरण हों। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने डीलर को कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 में ₹ एक लाख से अधिक अंतःराज्यीय या अंतर-राज्यीय लेन-देनों के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2017 और अक्टूबर 2019 के मध्य) से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 के लिए 12 डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर) के कार्यालय में 54 मामलों में 31 डीलरों⁵ ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के डीलरों को की गई ₹ 50.09 करोड़ की अपनी अंतर-राज्यीय बिक्री राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने 54 'सी' फॉर्म⁶ जमा किए, लेखापरीक्षा ने निर्गम प्राधिकारियों से प्रपत्रों का क्रॉस-सत्यापन किया और पाया कि ये 54 प्रपत्र दोषपूर्ण थे। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अगस्त 2015 और फरवरी 2019 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और पूर्वोक्त अनुदेशों के अनुसार सत्यापन के बिना दाखिल किए गए घोषणा-पत्रों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दी।

प्रपत्रों के क्रॉस सत्यापन पर, एन.सी.टी. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के राज्य कर अधिकारी ने सूचित किया (मार्च 2019 और जून 2020 के मध्य) कि कुछ मामलों में फॉर्म पहले ही रद्द कर दिए गए थे, बिक्री करने वाले डीलरों को जारी नहीं किए गए थे, फर्म पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी या फर्म का रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद नहीं है, फर्म काम नहीं कर रही है और डीलर भी सही नहीं हैं। इस प्रकार, बिना उचित सत्यापन के कर की रियायती दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कर के रूप में ₹ 5.55 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 16.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

मामला फरवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि पांच⁷ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) ने सात मामलों में ₹ 5.60 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की थी जिसमें से ₹ 0.14 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। छः⁸ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के 14 मामलों में नोटिस जारी किए गए थे/पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई थी। तीन⁹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के सात मामलों में 'सी' फॉर्म के सत्यापन के लिए पत्र जारी किए

⁵ अंबाला कैंट: 1, भिवानी: 1, फरीदाबाद (दक्षिण): 1, गुरुग्राम (उत्तर): 5, गुरुग्राम (दक्षिण): 2, जींद: 5, करनाल: 1, कैथल: 1, पलवल: 1, पानीपत: 1, रेवाड़ी: 1 और रोहतक: 11.

⁶ अंबाला कैंट: 1, भिवानी: 2, फरीदाबाद (दक्षिण): 1, गुरुग्राम (उत्तर): 8, गुरुग्राम (दक्षिण): 3, जींद: 16, करनाल: 1, कैथल: 3, पलवल: 1, पानीपत: 1, रेवाड़ी: 1 और रोहतक: 16.

⁷ जींद, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और रोहतक।

⁸ भिवानी, गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), कैथल, पलवल और रोहतक।

⁹ फरीदाबाद (दक्षिण), जींद और रोहतक।

गए थे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक और अंबाला कैंट के दो मामले डी.ई.टी.सी. (I)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (उत्तर) का एक मामला वापस भेज दिया गया है।

विभाग उचित सत्यापन के बाद ही अंतःराज्यीय और अंतर-राज्यीय बिक्री पर रियायत देने के अपने अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

2.10 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 13.125 प्रतिशत की लागू दर के विरुद्ध 5/5.25 प्रतिशत की दर पर कर का गलत उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.53 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दरें अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्ग्रह्य है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2017 और फरवरी 2018 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद एवं पंचकुला के कार्यालयों में तीन डीलरों के तीन मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2015 एवं जून 2017 के मध्य), माल की बिक्री पर लागू कर की दर से कम कर दरें लागू की, जिनका विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3

कर की गलत दर लगाने का विवरण

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.	निर्धारण वर्ष/निपटान	उपयोगी वस्तु	राशि	सरचार्ज सहित 12.5 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रह्य कर	उद्ग्रहीत कर (5 प्रतिशत या 5.25 प्रतिशत)	कर का कम उद्ग्रहण	ब्याज	विभाग का उत्तर
1	जींद	1196 दिनांक 13.06.17 2013-14	सीमेंट	2,42,10,525	31,77,631	12,10,526	19,67,105	17,28,430	₹ 22,52,564 की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है (दिसंबर 20)
2	पंचकुला	567 दिनांक 02.11.15 2013-14	इलेक्ट्रॉनिक सामान	3,95,55,108	51,91,608	20,76,643	31,14,965	15,18,026	स्वतः कार्रवाई (दिसंबर 20)
3	पंचकुला	948 दिनांक 04.11.16 2014-15	इलेक्ट्रॉनिक सामान	5,37,99,225	70,61,148	28,24,459	42,36,689	20,73,153	स्वतः कार्रवाई (दिसंबर 20)
कुल				11,75,64,858	1,54,30,387	61,11,628	93,18,759	53,19,609	

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा तैयार विवरण

कर की कम दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.53 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला जनवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (मार्च 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि डी.ई.टी.सी. जीद ने ₹ 0.23 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की है। कर मांग नोटिस सहित डीलर को आदेश जारी कर वसूली की कार्यवाही शुरू की गई। डी.ई.टी.सी. पंचकुला ने दो मामलों में सूचित किया कि मामले स्वतःकार्रवाई हेतु डी.ई.टी.सी.-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मैसर्स लाइट ग्राफिक, फरीदाबाद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले के आलोक में उक्त मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। उक्त मामले में, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि धारा 15(1) के अंतर्गत निर्धारण आदेश को एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 34 के अंतर्गत संशोधन में नहीं लिया जा सकता है। विभाग ने हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और यह मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है (जून 2021)।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मामलों की विस्तृत जांच करे कि कर दरें एच.वी.ए.टी./सी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार लगाई जा रही हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग ऐसे सभी मामलों और सतत् अनियमितताओं की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे जो लेखापरीक्षा के दौरान देखे और प्रतिवेदित किए गए हैं। राज्य को राजस्व की हानि करने वाली अनियमितताओं के ऐसे कृत्यों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्रभावी नियंत्रण स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। विभाग ऐसी सतत् चूक के लिए जिम्मेदार निर्धारण प्राधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई शुरू करे।

अध्याय-3
राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंधन

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंसों की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरीज में उत्पादित स्पिरिट/बीयर और उनके एक राज्य से दूसरे राज्य को आयात/निर्यात पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

ठेकों के ज़ोन का आवंटन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर आमंत्रित करके किया जाता है। ई-टेंडरिंग की विस्तृत प्रक्रिया को ई.टी.सी. द्वारा अंतिमकृत किया जाता है जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करके प्रदर्शित किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 86 इकाइयों में से 28 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 374 मामलों में ₹ 15.77 करोड़ (2018-19 के लिए ₹ 6,041.87 करोड़ की प्राप्ति का 0.26 प्रतिशत) से संबंधित आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो तालिका 3.1 में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।


तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	42	1.63
2	ठेकों के पुनःआबंटन पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि उदग्रहित न करना	18	4.45
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	85	5.22
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	147	0.92
5	विविध अनियमितताएं	82	3.55
	योग	374	15.77

स्रोत : कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

चार्ट 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



स्रोत : कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 363 मामलों में आवेष्टित ₹ 14.70 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित आठ मामलों में आवेष्टित ₹ 16.44 लाख वसूल किए।

₹ 1.97 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 ब्याज की अवसूली/कम वसूली

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने समय पर मासिक किश्त जमा नहीं करने पर न तो ठेकों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.61 करोड़ का ब्याज उदग्रहित किया।

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) और देसी शराब (सी.एल.) की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस वाला प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसा करने में विफल रहने से लाइसेंसधारी, उस माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किश्त के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के

साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो ठेकों के जोन अगले माह के प्रथम दिन से बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} द्वारा साधारणतः सील बंद किए जाएंगे और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सी.ज (आबकारी), जगाधरी तथा कैथल के 2017-18 के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान की निगरानी हेतु एम-2 रजिस्ट्रारों की अगस्त एवं सितंबर 2018 में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 33 जोन में से 11 में निर्धारित देय तारीख के बाद ₹ 56.42 करोड़ की राशि की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 116 दिनों के विलंब के साथ किया गया था। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने दुकानों के जोन को सील करने और लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान हेतु ब्याज लगाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

मामला नवंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (मार्च 2021) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जगाधरी द्वारा ₹ 8.68 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 1.52 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही/प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज की स्वचालित गणना की अंतर्निहित यंत्रावली के लिए विचार करे।

3.4 अवैध स्वामित्व के लिए पेनल्टी की अवसूली/अनुद्ग्रहण

विभाग ने जब्त किए गए वाहनों की नीलामी या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करके ₹ 35.51 लाख की पेनल्टी वसूल करने की उपयुक्त कार्रवाई शुरू नहीं की।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 (1) (एएए) (सी) (i) में प्रावधान है कि अवैध शराब¹ रखने के दोषी से 750 प्रति मिलीलीटर या उसके हिस्से की बोतल पर जो ₹ 50 से कम न हो और ₹ 500 प्रति बोतल से अधिक न हो की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है। आगे, हरियाणा अधिरोपण और दंड की वसूली नियमावली, 2003 के नियम 12 और 13 में प्रावधान है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलैक्टर या उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

¹ अवैध शराब का अर्थ है किसी गुणवत्ता नियंत्रण जांच के बिना गैर-कानूनी ढंग से तैयार की गई शराब जो अनुमत सीमा से अधिक मादक केंद्रीकरण के कारण मानवीय खपत हेतु उपयुक्त नहीं है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों² के 2017-18 तथा 2018-19 के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने सड़क पर चेकिंग के दौरान 48 मामलों में अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के मध्य अवैध शराब की 58,699 बोतलें पकड़ी और आठ³ वाहन जब्त किए। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के बाद 42 मामलों का निर्णय किया और ₹ 19.13 लाख की पेनल्टी लगाई तथा शेष छः मामलों में ₹ 16.68 लाख की पेनल्टी नहीं लगाई थी। इस प्रकार पेनल्टी की कुल राशि जो ₹ 35.81 लाख परिकलित की गई में से विभाग केवल ₹ 0.30 लाख (0.84 प्रतिशत) वसूल कर सका था व एक से तीन वर्षों के बीत जाने के बाद भी जब्त वाहनों की नीलामी करने या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करके ₹ 35.51 लाख की शेष पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही नहीं की।

मामला नवंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (मार्च 2021) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि ₹ 0.29 लाख की राशि वसूल की गई थी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी), हिसार, जगाधरी, पंचकुला और सोनीपत के संबंध में ₹ 18.58 लाख की शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे/ नोटिस जारी किए गए थे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुरुग्राम (पूर्व) में विभाग ने बताया कि निप्स को पूर्ण बोतल में परिवर्तित करके ₹ 16.64 लाख में से ₹ 5.57 लाख की राशि वसूल की गई थी। विभाग की कार्रवाई उचित नहीं है, क्योंकि पंजाब आबकारी अधिनियम के अनुसार, अवैध शराब के स्वामित्व के लिए दोषी से 750 मिलीलीटर की बोतल या उसके हिस्से पर न्यूनतम ₹ 50 प्रति बोतल की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

विभाग अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकता है ताकि देय राशियों का उचित संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके तथा पेनल्टी न लगाने या कम उद्ग्रहण के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों के दृष्टांत नमूना-जांच किए गए मामलों पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

² हिसार, सोनीपत, पंचकुला, जगाधरी और गुरुग्राम।

³ डी.ई.टी.सी. (आबकारी) हिसार (03 वाहन), जगाधरी (02 वाहन) और पंचकुला (03 वाहन)।

अध्याय-4
स्टाम्प शुल्क

अध्याय-4: स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रबंधन

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से प्राप्तियां हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अंतर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.) तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 के दौरान राजस्व विभाग के 143 यूनिटों में से 101 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच में 1,271 मामलों में ₹ 17.88 करोड़ राशि के (2018-19 के लिए ₹ 5,636.16 करोड़ की प्राप्ति का 0.32 प्रतिशत) स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस इत्यादि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं उजागर हुईं जो तालिका 4.1 में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत हैं:


तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	पट्टा करार पर स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	191	0.47
2.	निम्नलिखित के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली <ul style="list-style-type: none"> • अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन • दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण 	299	5.74
		190	3.57
3.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	15	0.13
4.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	48	0.92
5.	विविध अनियमितताएं	528	7.05
	योग	1,271	17.88

स्रोत : कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

चार्ट 4.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)



स्रोत : कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

विभाग ने 469 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.21 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जो वर्ष के दौरान इंगित की गई थीं। विभाग ने इस वर्ष से संबंधित तीन मामलों में आवेष्टित ₹ 0.69 लाख वसूल किए।

₹ 1.38 करोड़ आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी तरह के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू करे।

4.3 कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के रूप में बिक्री विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण

पांच करारों के मामले में बिक्री करार की बजाय कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के रूप में बिक्री विलेख के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 0.45 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उदग्रहण हुआ।

अक्टूबर 2013 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार कोई करार, जो किसी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या विक्रय या हस्तांतरण (किसी भी तरीके से) हेतु प्रोमोटर या डवलपर, किसी भी नाम से ज्ञात, को प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित हो, पर स्टाम्प

शुल्क देय होगा जैसा कि बिक्री के करार में उल्लिखित संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण पर उद्ग्रहणीय होता है।

पानीपत और रोहतक सब-रजिस्ट्रार (एस.आर.) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि फरवरी तथा मई 2017 के मध्य पांच कोलैबोरेशन एग्रीमेंट¹ पंजीकृत किए गए थे जिन पर ₹ 2.50 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस (एस.डी. एंड आर.एफ.) उद्ग्रहीत की गई थी। इन करारों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भूमि के मालिकों ने डवैलपरो को शॉप-कम-फ्लैट्स और आवासीय घर बनाने के अधिकार के साथ भूमि का स्वामित्व लेने का प्राधिकार दे दिया। इसलिए ये करार अक्टूबर 2013 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उत्तरदायी थे। कलेक्टर द्वारा नियत दरों के अनुसार, डवैलपरो को हस्तांतरित भूमि का मूल्य ₹ 9.40 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 47.75 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहणीय थी। इस प्रकार, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स के रूप में इन दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 45.25 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला अगस्त 2020 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि शीघ्र निर्णय और वसूली के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलेक्टरों की अदालतों में लंबित मामलों में शीघ्रता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

विभाग सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का पालन करे तथा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के संबंध में स्थिति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाए। सभी मामलों में, विभाग समयबद्ध वसूली के लिए विशेष अभियान पर भी विचार कर सकता है।

4.4 स्वायत्त निकायों को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

पंजीकरण प्राधिकारियों ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं नगर निगम को सरकारी संस्था मानकर ₹ 24.11 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से अनियमित छूट की अनुमति प्रदान की।

हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार, सरकार की ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी भी दस्तावेज के संबंध में किसी प्रकार का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

सब रजिस्ट्रार जगाधरी और खरखौदा के कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.), पंचकुला और नगर निगम (एम.सी.),

¹ सहयोगात्मक या सहकारी आधार पर वाणिज्यिक परियोजना पर एक साथ काम करने के इच्छुक कम से कम दो दलों के बीच एक करार। करार में पार्टियों के कामकाजी संबंधों के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों को शामिल किया गया है जिसमें जिम्मेदारियों का आबंटन और उस कार्य से प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा शामिल है।

जगाधरी के संबंध में ₹ 4.58 करोड़ के कुल प्रतिफल (फरवरी और अक्टूबर 2019) पर ₹ 24.11 लाख की राशि का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस प्रभारित किए बिना दो बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे। चूंकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नगर निगम स्वायत्त निकाय हैं और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्गृहीत किया जाना अपेक्षित था, पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन्हें सरकारी निकाय मानते हुए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से छूट अनुमत की, जबकि ये आदेश स्थानीय निकायों पर लागू नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.11 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट दी गयी।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि शीघ्र निर्णय और वसूली के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टरों की अदालतों में लंबित मामलों में शीघ्रता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

विभाग भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1890 के प्रावधान का सख्ती से पालन करे।

4.5 किसानों को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

किसानों को 11 मामलों में स्टाम्प शुल्क में छूट की अनुमति दी गई थी, यद्यपि उन्होंने प्राप्त मुआवजे से आवासीय/व्यावसायिक भूमि खरीदी, जिसकी छूट की अनुमति सरकार के जनवरी 2011 के आदेशानुसार नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.25 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) के अधीन जनवरी 2011 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार सरकार उन किसानों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों के संबंध में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) एवं पंजीकरण फीस (आर.एफ.) की छूट देती है, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की जाती है और जो उनके द्वारा मुआवजा राशि की प्राप्ति के दो वर्षों के अंदर राज्य में कृषि भूमि खरीदते हैं। छूट मुआवजा राशि तक सीमित होगी और नियमानुसार कृषि भूमि की खरीद में शामिल अतिरिक्त राशि पर एस.डी. एवं आर.एफ. उद्गृहणीय होगी।

पांच सब-रजिस्ट्रार (एस.आर.)² के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ग्यारह मामलों में किसानों ने, जिनकी भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की गई थी, ₹ 1.71 करोड़ मूल्य की आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी। इन मामलों में ₹ 12.34 लाख का एस.डी. एवं आर.एफ. उद्गृहीत किया जाना था क्योंकि केवल कृषि भूमि की खरीद के लिए एस.डी. की छूट उपलब्ध थी। तथापि, विभाग ने एस.आर. जींद के संबंध में केवल ₹ 0.09 लाख की राशि के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्गृहण किया जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त

² ऐलनाबाद, फतेहाबाद, जगाधरी, जींद और सिरसा।

मुआवजा राशि से आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए किसानों को ₹ 12.25 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अनियमित छूट दी गई।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि शीघ्र निर्णय और वसूली के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टरों की अदालतों में लंबित मामलों में शीघ्रता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। दो मामलों में किसानों ने प्राप्त मुआवजे की राशि में से ₹ 7.73 लाख की राशि का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस दिए बिना प्लॉट एवं आवासीय मकान खरीदा तथा कलैक्टर ने इन मामलों को अंतिमकृत किया और जुलाई 2019 को स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की जो कि उक्त सरकारी आदेश के विरुद्ध है। सरकार द्वारा नवंबर 2013 में जारी निर्देश के अनुसार यदि कलैक्टर का निर्णय सरकार के विरुद्ध होता है तो सब-रजिस्ट्रार को इनके विरुद्ध अपील दायर करनी चाहिए। हालांकि, एस.आर. द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसानों को एस.डी. और आर.एफ. में छूट प्राप्त मुआवजे की राशि से केवल कृषि भूमि की खरीद के लिए दी गई थी।

4.6 अचल संपत्ति में गलत दरें लगाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के अंदर आने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 16 प्लॉटों के बिक्री विलेखों का निर्धारण आवासीय भूमि की बजाय कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया, परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) के अपवंचन की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर बेची गई कृषीय भूमि 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र अथवा ऐसे मामलों में जहां खरीददार एक से ज्यादा हैं तथा प्रत्येक खरीददार का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, पर स्टाम्प शुल्क लगाने के उद्देश्य से उस इलाके में आवासीय संपत्ति हेतु निर्धारित दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

सात पंजीकरण कार्यालयों³ के अभिलेखों (फरवरी से दिसंबर 2018) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उपर्युक्त अधिसूचना के उक्त पैमाने के अंतर्गत आने वाले 16 प्लॉटों के बिक्री विलेख अप्रैल 2016 तथा जनवरी 2018 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दरों पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 8.48 करोड़ किया जाना था तथा ₹ 0.53 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्ग्रहणीय था। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन विलेखों का निर्धारण कृषि भूमि के लिए नियत दरों के आधार पर ₹ 1.76 करोड़ किया और

³ अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, भूना, कलावाली, रोहतक, सफीदों और टोहाना।

₹ 0.15 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ के एस.डी. तथा आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला जनवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि शीघ्र निर्णय और वसूली के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत क्लैक्टर्स की अदालतों में लंबित मामलों में शीघ्रता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

विभाग अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से तैयार करे कि यदि संपत्ति में किसी व्यक्ति का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है तो उसका मूल्यांकन आवासीय दरों पर स्वचालित रूप से हो जाए।

4.7 प्राइम खसरा भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि हेतु नियत सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 18.06 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा सरकार ने अनुदेशों के अंतर्गत (नवंबर 2000) राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों एवं लिंक सड़कों पर स्थित कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक भूमि की खसरा संख्या की पहचान करने का निर्देश दिया। आगे, हरियाणा सरकार ने क्लैक्टर दरों को निर्धारित करने के लिए भूमि की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन के लिए राजस्व विभाग और नगर समितियों के अधिकारियों वाली जिला स्तरीय समितियों के गठन के लिए सितंबर 2013 में निर्देश जारी किए। आगे, हरियाणा राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) की धारा 27 प्रावधान करती है कि प्रभार्य शुल्क या शुल्क की राशि वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए।

छ: एस.आर./जे.एस.आर.⁴ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जनवरी 2017 से मार्च 2018) कि भू राजस्व अभिलेख के अनुसार विशिष्ट खसरा में 32 हस्तांतरण विलेख अप्रैल 2016 और मार्च 2017 के मध्य पंजीकृत किए गए थे जिनका निर्धारण प्राइम भूमि के लिए निर्धारित उच्च दर के आधार पर ₹ 9.53 करोड़ किया जाना था जिस पर ₹ 38.66 लाख का स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) और ₹ 2.40 लाख की पंजीकरण फीस (आर.एफ.) उद्ग्रहणीय थी। तथापि, सामान्य दरों के आधार पर अचल संपत्तियों को ₹ 5.38 करोड़ पर गलत ढंग से निर्धारित किया गया था और ₹ 21.55 लाख का एस.डी. और ₹ 1.45 लाख की आर.एफ.

⁴ बहादुरगढ़, बराड़ा, मुलाना, नारायणगढ़, सांपला और शहजादपुर।

उद्गृहीत की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.06 लाख के एस.डी. एवं आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला जनवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2021), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि शीघ्र निर्णय और वसूली के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलेक्टरों की अदालतों में लंबित मामलों में शीघ्रता लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

विभाग स्टाम्प शुल्क के उचित मूल्यांकन के लिए सॉफ्टवेयर हैरिस में प्राइम भूमि, कॉलोनियों/वार्ड/सेक्टरों की खसरा संख्या की पहचान और रिकॉर्ड दर्ज करे। विभाग लागू विभिन्न अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक प्रक्रियाओं की मैपिंग के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली अपनाने पर विचार कर सकता है, ताकि स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अपवंचन से राजस्व की हानि को रोका जा सके।

विशाल बंसल

(विशाल बंसल)

चण्डीगढ़

दिनांक: 18 अगस्त 2021

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

दिनांक: 31 अगस्त 2021

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 नवंबर 2020 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2015-16	2016-17	2017-18	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	12	12	12	36
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	12	12	24
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	शून्य	2	2	4
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	शून्य	2	2
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	9	8	8	25
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	शून्य	8	8
राज्य उत्पाद शुल्क/ पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	2	5	8
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	2	5	7
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	2	1	4
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	शून्य	शून्य	1	1
योग	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	23	26	28	77
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों की कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	शून्य	14	28	42

परिशिष्ट II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31.03.2020 को लोक लेखा समिति की 1979-80 से 2014-15 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1	22वीं	1979-80	3
2	23वीं	1980-81	4
3	25वीं	1981-82	4
4	26वीं	1982-83	3
5	28वीं	1983-84	2
6	29वीं	1984-85	7
7	32वीं	1985-86	4
8	34वीं	1986-87	9
9	36वीं	1987-88	6
10	38वीं	1988-89	10
11	40वीं	1989-90	21
12	42वीं	1990-91, 1991-92, 1992-93	26
13	44वीं	1990-91, 1991-92, 1992-93	39
14	46वीं	1993-94	9
15	48वीं	1993-94, 1994-95	10
16	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	40
17	52वीं	1996-97	29
18	54वीं	1997-98	39
19	58वीं	1998-99 तथा 1999-2000	64
20	60वीं	2000-01	36
21	62वीं	2001-02	42
22	63वीं	2002-03	46
23	64वीं	2003-04	52
24	65वीं	2004-05	48
25	67वीं	2005-06	48
26	68वीं	2006-07 तथा 2007-08	98
27	70वीं	2008-09	55
28	71वीं	2009-10	51
29	72वीं	2010-11	59
30	73वीं	2011-12	24
31	74वीं	2013-14	50
32	75वीं	2012-13	47
33	78वीं	2014-15	49
योग			1,034

परिशिष्ट II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	1979-80 से 2014-15 तक की अवधि की बकाया कुल सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	498
2	राजस्व	226
3	खदान एवं भू-विज्ञान	52
4	कृषि	41
5	सिंचाई	9
6	चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर (विद्युत)	17
7	जन-स्वास्थ्य	5
8	लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	4
9	पशुपालन	7
10	परिवहन	100
11	वित्त (लॉटरीज)	15
12	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13	सहकारिता	20
14	वन	7
15	गृह	16
16	शहरी विकास	2
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18	उद्योग	5
19	सामान्य	1
20	नगर एवं ग्राम आयोजना	3
	योग	1,034

परिशिष्ट III

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.1)

आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य
2010-11	116	171	58.92	19	60	29.07	30	53	17.48	105	178	70.51
2011-12	105	178	70.51	14	33	4.89	13	33	20.30	106	178	55.10
2012-13	106	178	55.10	27	80	20.87	34	87	13.28	99	171	62.69
2013-14	99	171	62.69	22	46	10.64	5	16	0.86	116	201	72.47
2014-15	116	201	72.47	35	93	84.78	24	49	22.58	127	245	134.67
2015-16	127	245	134.67	25	57	22.10	6	21	2.75	146	281	154.02
2016-17	146	281	154.02	22	50	39.06	23	79	31.43	145	252	161.65
2017-18	145	252	161.65	34	75	19.70	19	60	41.82	160	267	139.53
2018-19	160	267	139.53	25	72	48.61	6	18	18.89	179	321	169.25
2019-20	179	321	169.25	15	38	21.95	10	12	6.29	184	347	184.91

परिशिष्ट IV
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.2)

आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2009-10	02	5.65	02	5.65	0.10	1.93
2010-11	01 (पी.ए.)	21.60	01 (पी.ए.)	21.60	2.64	2.64
2011-12	03	4.75	03	4.75	0.05	0.35
2012-13	03	12.15	03	12.15	0.44	0.52
2013-14	02	24.87	02	24.87	0.37	0.37
2014-15	02	20.44	02	20.44	5.07	8.74
2015-16	01 (पी.ए.)	60.56	01 (पी.ए.)	60.56	11.58	21.23
2016-17	02	5.08	02	5.08	0.09	2.59
2017-18	05	9.59	05	9.59	0.26	2.33
2018-19	02	8.23	02	8.23	0.17	0.17
योग	21	90.76	21	90.76	6.55	17.00
	02 (पी.ए.)	82.16	02 (पी.ए.)	82.16	14.22	23.87
सकल योग	23	172.92	23	172.92	20.77	40.87

शब्दावली

ए.ए.	कर-निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
सी.जी.एस.टी.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सी.एल.	देशी शराब
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.ई.टी.सी.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
भा.स.	भारत सरकार
जी.टी.ओ.	सकल टर्नओवर
एच.एस.वी.पी.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.यू.डी.ए.	हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आई.एम.एफ.एल.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एक्ट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.आर.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त सब-रजिस्ट्रार
एम.सी.	नगर निगम
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)
आर.ए.	पुनरीक्षण प्राधिकारी
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.आर.	सब-रजिस्ट्रार
एस.टी.ओ.	राज्य कर अधिकारी
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.सी.टी.	निर्माण संविदा कर

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.cag.gov.in/ag/haryana/en